उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला विकास शाखा)

Email :-giridih.vikashshakha@Gmail.com

नोटिश बोर्ड पर कोटेशन का आमंत्रण (संशोधित)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि CCL के CSR मद अन्तर्गत **COVID-19** से संक्रमित व्यक्तियों के ईलाज हेतु न्यूनतम 25 Oxygen Mask एवं 50 Pulse Oximeter की आवश्यकता है। चिकित्सा प्रक्षेत्र के इच्छुक उत्पादक/ प्राधिकृत विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ कम्पनी संस्थान/फर्म से दिनांक 25.05.2021 के अपराह्न 01:00 बजे तक किसी भी कार्यालय अवधि में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव/कोटेशन आमन्त्रित की जाती है।

01. सुरक्षित जमा राशि के रूप में 5000.00 (पाँच हजार) रूपये का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो **"उपायुक्त, गिरिडीह"** के पदनाम से भुगतेय होगा।
02. GST पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जो तकनीकी बीड खुलने के समय वैद्य हो।
03. अद्यतन GST रिटर्न (GST 3B) की छायाप्रति।
04. प्रस्तावक को आपूर्ति आदेश प्राप्ति के पश्चात तीन दिनों के अन्दर आपूर्ति प्रारम्भ कर अधिकतम 7 दिनों के अंदर सम्पूर्ण सामग्री आपूर्ति कर देने संबंधी सहमति पत्र संलग्न करना होगा।
05. सामग्री की गुणवत्ता संबंधी ISO:9001:2015 एवं अन्य प्रासंगिक गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
06. कोटेशन के साथ Pulse Oximeter एवं Oxygen Mask का नमूना संलग्न करना होगा। गुणवत्ता एवं दर अनुकुलता के आलोक में चयनित कोटेशनदाता को छोड़ शेष कोटेशनदाता का नमूना वापस कर दिया जायेगा।
07. सामग्रीयों के लिए न्यूनत्तम एक वर्ष की गांरटी/वांरटी अनिवार्य होगी। एक वर्ष तक उपकरणों/सामग्री का रख–रखाव एवं किसी तरह की खराबी (Defect) आने पर अपने खर्च पर स्वयं बदलना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नही होगी।
08. प्रस्तावक फर्म/प्रतिष्ठान के केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अनुशांगिक ईकाई द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (न्यूनतम 100 रूपये के नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित स्टाम्प पेपर पर)।
09. प्रस्ताव में प्रस्तावित सामग्रियों के लिए सभी प्रकार के कर परिवहन शुल्क, हथालन एवं सामग्रियों के अधिष्ठापन एवं रख–रखाव व्यय के साथ दर अंकित करना होगा।
10. सभी दर गंतव्य स्थान तक के लिए दर्ज की जायेगी। (Each Item F.O.R. Distination)
11. उक्त प्रस्तावित दर शब्दो में भी स्पष्ट रूप से दर्ज किया जायेगा। न्यून गुणवता वाले सामग्रियों के प्रस्तावित दर को पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार जिला स्तरीय क्रय/मूल्यांकन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
12. मूल्यांकन समिति के पास प्राप्त प्रस्ताव के किसी भाग या सम्पूर्ण भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. सफल उत्पादक/प्राधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/कम्पनी/संस्थान/फर्म/प्रस्तावकों को आपूर्ति आदेश के साथ किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. उत्पादक का जाँच प्रमाण पत्र और Original Equipment Manufacturer (OEM) गारंटी सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से सप्लाई के साथ जहाँ भी आवश्यक हो उपलब्ध कराया जायेगा।
15. चयन प्रक्रिया के निर्णय पर किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। परियोजना अधिष्ठापन के दौरान सभी प्रकार के विधि सम्मत विवादों के निपटारा हेतु एक मात्र न्यायाधिकार क्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय, गिरिडीह/व्यवहार न्यायालय, गिरिडीह होगा।
16. निर्धारित अवधि समाप्ति के उपरान्त दिये गये कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

18/5/21

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा,
गिरिडीह।

18/5/2021

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 398 / वि० दिनांक 18.5.21

प्रतिलिपि :–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आमन्त्रित कोटेशन/प्रस्ताव की सूचना अपने नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आमन्त्रित कोटेशन/प्रस्ताव की सूचना वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, गिरिडीह/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गिरिडीह/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सदर अस्पताल,गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/21
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा,
18/05/21 गिरिडीह।

18/5/2021
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।